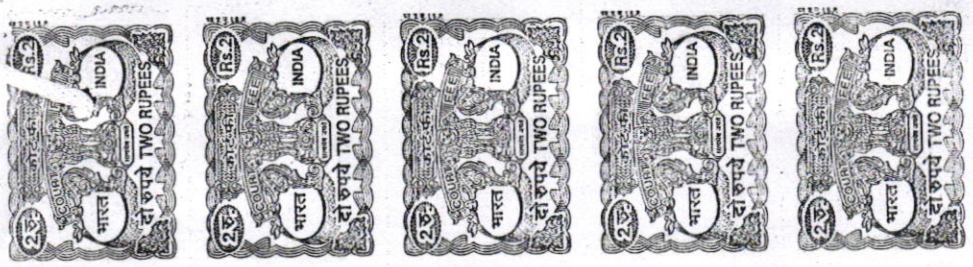

54

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0, ग्वालियर

प्रकरण कमांक /2015 निगरानी निग-4094-II/15

1– अंकेश आयु– 29 वर्ष
2– अंकुर आयु–23 वर्ष पुत्रगण श्री विजयकुमार जैन निवासीगण –वार्ड कमांक 9, छोटी बजरिया, निवाडी, जिला टीकमगढ, म0प्र0 ... आवेदकगण

(S.K. Khare) Adv

बनाम

1– सुनील कुमार पुत्र दयाचन्द जैन
2– वीरेन्द्र कुमार
3– अनिल कुमार
4– विजय कुमार पुत्रगण श्री पंचमलाल जैन
5– श्रीमती पुष्पादेवी
6– श्रीमती शकुन्तलादेवी
7– श्रीमती शशिवाला
8– श्रीमती रविवाला पुत्रीयॉ श्री पंचमलाल जैन
9– श्रीमती भगवती देवी पत्नी स्व0श्री दयाचन्द्र जैन
10– सुदर्शन कुमार पुत्र दयाचन्द्र जैन, समस्त निवासीगण – निवाडी, तहसील– निवाडी, जिला– टीकमगढ, म0प्र0 ...... अनावेदकगण

दिनांक 23-12-15 को श्री एस० के० खरे अभि० द्वारा प्रस्तुत।
23-12-15

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, विरूद्व आदेश दिनांक 31/08/2015 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी महोदय, निवाडी, जिला टीकमगढ (म0 प्र0) जो प्रकरण कमांक 92/अपील/.14–15 में पारित कर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार महोदय निवाडी द्वारा प्रकरण कमांक 39/अ–6/10–11 में पारित नामान्तरण आदेश दिमांक 18/02/14 निरस्त करते हुये अनावेदक कमांक 1/ अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आवेदकगण के हक में किया गया नामान्तरण निरस्त किया गया है और वारिसान के आधार पर नामान्तरण किये जाने हेतु आदेश पारित किया है। निगरानी अन्तर्गत आदेश प्रदर्श ए–1 से चिन्हित किया गया है।

श्रीमान् जी,

आवेदकगण की निगरानी सविनय निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत है:–

संक्षिप्त तथ्य

1– यह कि, आवेदकगण द्वारा श्रीमान् तहसीलदार महोदय निवाडी के समक्ष एक आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 110 म0 प्र0 भू– राजस्व संहिता का प्रस्तुत कर

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-4097-दो/2015 अकेश विरूद्ध सुनील कुमार व अन्य

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20-09-2018	1. प्रकरण प्रस्तुत । दिनांक 17-09-2018 को आवेदकगण के अभिभाषक श्री एस.के.खरे को म.प्र.शासन भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रकरण ग्राह्यता के संबंध में सुना गया । आवेदक अभिभाषक के तर्क एवं निगरानी मेमो के साथ संलग्न अधीनस्थ अनुविभागीय अधिकारी निवाडी के द्वारा अपील प्रकरण क्रमांक 92/अपील/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 31-08-2015 एवं तहसीलदार निवाडी के प्रकरण क्रमांक 39/ए6/2010-11 की आदेश पंजिका दिनांक 18-02-2014 का अवलोकन किया गया । 2. प्रकरण का सार यह है कि अनावेदकगण अंकेश, अंकुर व अन्य के द्वारा वसीयत के आधार पर तहसीलदार के न्यायालय में मौजा निवाडी के कुल किता 11 रकबा 1.339 हे. भूमि के नामांतरण हेतु आवेदन दिया था । तहसीलदार के द्वारा आदेश दिनांक 18-02-2014 से उनके पक्ष में नामांतरण किया गया था, जिसे उत्तरवादीगण सुनीलकुमार तनय दयाचंद जैन के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी निवाडी के न्यायालय में अपील के माध्यम से चुनौती दी गई । अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा आदेश दिनांक 31-08-2015 तहसीलदार निवाडी के आदेश दिनांक 18-02-2014 से किया गया नामांतरण निरस्त किया गया है, एवं तहसीलदार को निर्देशित किया गया है कि वारिसान के आधार पर नामांतरण की कार्यवाही करें । 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 44 में द्वितीय अपील प्रावधान है जिसके अनुसार अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा प्रथम अपील में पारित आदेश के विरूद्ध अपील आयुक्त को किये जाने का प्रावधान है । 4. प्रस्तुत प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा प्रथम अपील के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय का नामांतरण आदेश निरस्त कर तहसीलदार को वारिसान के आधार पर नामांतरण करने के निर्देश	

	दिये गये है । निगरानीकर्ता उक्त आदेश के परिप्रेक्ष्य में अपनी बात द्वितीय अपील में रख सकता है, या तहसीलदार के न्यायालय में विभिन्न न्याय दृष्टांतों का उदाहरण देते हुए नामांतरण की कार्यवाही में अपना पक्ष रखें । 5. अत: उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में निगरानी आवेदन अग्राह्य किया जाता है । 6. आवेदक' अभिभाषक को नोट कराया जाये । 9.18 (आर.के.जैन) सदस्य	